उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र,
14,सी.एस.पी.सिंह मार्ग, इलाहाबाद
फोन नं0 0532—2421855
e-mail: nczcc@rediffmail.com, website: www.nczcc.in

निविदा सूचना

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आवश्यक मंचीय ध्वनि एवं प्रकाश उपकरण किराये पर नई दिल्ली या NCR क्षेत्र में आपूर्ति किये जाने अथवा लगाने हेतु पंजीकृत फर्मों से मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र केन्द्र कार्यालय के लेखा अनुभाग से रू0 500/— नगद अथवा ड्राफ्ट जो (निदेशक उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज के पक्ष में देय हो) प्रति निविदा प्रपत्र जमा करने पर दिनांक 05.12.2025 से 12.12.2025 तक पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे के मध्य किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा निविदा प्रपत्र सांस्कृतिक केन्द्र की वेबसाइट www.nczcc.in से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। डाउनलोड किये हुए निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क जमा करना आवश्यक होगा। शुल्क निदेशक उ.म.क्षे.सां.केन्द्र के नाम ड्राफ्ट के रूप में **निविदा प्रपत्रों के साथ ही संलग्न करना होगा।** निविदा 22.12.2025 को केन्द्र में अपराह्न 2:00 बजे तक जमा की जायेगी। प्राप्त सभी निविदाओं को 22.12.2025 को सायं 3:00 बजे तक केन्द्र की समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अवधि	निविदा फार्म बिक्री की अन्तिम तिथि	निविदा जमा तिथि एवं समय	निविदा खोलने का समय
1	मंचीय ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था (किराये पर)	कार्य आवंटन की तिथि से एक वर्ष तक	12.12.2025 को अपराहन 03:00 बजे तक	23.12.2025 को अपराहन 2:00 बजे	23.12.2025 को अपराहन 3:00 बजे

निदेशक

Scanned with OKEN Scanner

निविदा की शर्तें

1. दरें प्रत्येक मद, प्रति संख्या प्रति इकाई एक दिन अथवा 15 दिन की अवधि के लिये देनी होगी।
2. निविदादाता की कोई भी शर्त अलग से केन्द्र को मान्य नहीं होगी।
3. निदेशक, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र को स्वीकृत दरों पर कार्य को दो या दो से अधिक ठेकेदारों के बीच बांटने का अधिकार होगा।
4. सामानों के कार्य स्थल तक ले आने, ले जाने, एवं निदेशित स्थान पर लगाने का व्यय, सामानों के बदलनें एवं पुनः लगाने का व्यय दरों में ही सम्मिलित होगा।
5. सामानों की आपूर्ति नई दिल्ली व NCR क्षेत्र में की जायेगी। दी गयी दरों में सामानों की आपूर्ति/लगाने का व्यय भी सम्मिलित होगा।
6. सामानों की आपूर्ति में सभी तरह की प्रतिपूर्ति भी सम्मिलित होगी परंतु, Act of God जैसे दंगा, अग्निकाण्ड, वर्षा आदि से हुई क्षति उक्त प्रतिपूर्ति में शामिल नहीं होगी। कार्यस्थल पर किन्हीं कारणों से यदि कार्यक्रम पहले समाप्त हो जाता है तो वास्तविक उपयोग अवधि का भुगतान किया जायेगा।
7. आपूर्ति किये जाने वाले सामानों की मात्रा आवश्यकता के अनुसार कम या अधिक हो सकती है। ठेकेदार को केन्द्र की आवश्यकतानुसार सामानों की आपूर्ति कार्य स्थल पर करनी होगी।
8. कार्यक्रमों के दौरान वर्ष भर में जिन सामानों की आवश्यकता हो सकती है उनकी दरें आमंत्रित कर ली गयी हैं, परन्तु ठेकेदार को सामानों की आपूर्ति केन्द्र की आवश्यकतानुसार करनी होगी।
9. निर्धारित समय पर ठेकेदार द्वारा सामानों की आपूर्ति न किये जाने पर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में निदेशक का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
10. कार्य स्थल पर उपयोग किये जाने वाले सामानों की रख–रखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी। टूट–फूट के लिये या उपयोग के दौरान किसी सामान के खराब होने के कारण किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति केन्द्र द्वारा देय नहीं होगी।
11. कार्यस्थल पर ठेकेदार द्वारा जिन सामानों की आपूर्ति की जायेगी, उनके संतोषजनक एवं पर्याप्त क्षमता का न होने पर बदलने का दायित्व ठेकेदार का स्वयं का होगा। इसमें किसी प्रकार के नुकसान होने पर ठेकेदार जिम्मेदार होगा। आपूर्तित सामानों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में निदेशक या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
12. आपूर्ति की गयी सभी उपकरण उपयोग करने योग्य, सभी जोड़ के साथ लगे होने चाहिए। गुणवत्ता संतोषजनक न होने पर ठेकेदार के अन्तिम भुगतान से कटौती कर ली जायेगी। विद्युत सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

Scanned with OKEN Scanner

13. सामान्यतया उपकरण की आपूर्ति के लिए ठेकेदार को पर्याप्त समय दिया जायेगा। परन्तु आकस्मिक मांग होने पर सामानों की आपूर्ति तद्नुसार करनी होगी।
14. सम्पूर्ण कार्य उपकरण की आपूर्ति एवं लगाने का कार्य कार्यक्रम शुरू होने के एक दिन पूर्व अधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार पूर्ण करनी होगी।
15. किए गये कार्य का स्तर सुरक्षा और गुणवत्ता की दृष्टि से संतोषजनक न पाये जाने पर इसकी आपूर्ति का प्रबन्ध अन्य एजेन्सी से किया जायेगा एवं इसके लिये किराये पर होने वाले व्यय के अतिरिक्त 15 प्रतिशत धनराशि दण्ड स्वरूप ठेकेदार से वसूल की जायेगी तथा उसकी जमानत राशि जब्त करते हुये अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा।
16. यदि किसी समय पर यह पाया जाता है कि भुगतान अधिक हो गया है तो ठेकेदार की जमानत राशि/लम्बित भुगतान से इसकी वसूल कर ली जायेगी।
17. निविदादाता को स्पष्ट रूप से अपनी दरों को शब्दों एवं अंकों में इंगित करना होगा यदि शब्दों एवं अंकों में अन्तर पाया जाता है तो दोनों में जो कम होगा उसी को सही माना जायेगा। जिस सामग्री की दर नहीं अंकित की गयी उसके आगे निरंक लिख दिया जायेगा।
18. कोई भी निविदा बिना रु0 25,000/– (रुपये पच्चीस हजार मात्र) की अग्रिम धनराशि (Earnest Money) के स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदादाता द्वारा अग्रिम धनराशि नकद/ड्राफ्ट पत्र के रूप में (निदेशक, उ0म0क्षे0सां0केन्द्र के पक्ष में जमा) करनी होगी।
19. निविदादाता को अपनी कार्यक्षमता प्रमाणित करनी होगी तथा पूर्व के तीन वर्षों में किये गये कार्य का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
20. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जायेगी उसे तीन दिनों के भीतर रुपये 50,000/–(रुपये पचास हजार मात्र) की जमानत राशि केन्द्र के पक्ष में जमा करनी होगी अन्यथा (Earnest Money) अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
21. निदेशक, उ.म.क्षे.सां.केन्द्र को यह विशेषाधिकार होगा कि वह बिना किसी कारण बताये किसी एक निविदा को या सभी निविदाओं को निरस्त कर दें अथवा केन्द्र के हित में किसी एक निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप में स्वीकार कर लें। इस सम्बन्ध में निदेशक का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
22. कार्य स्थल पर कार्य की भाग का माप–जोख (भौतिक सत्यापन) केन्द्र के अधिकारी द्वारा पूर्ण किये जाने तक ठेकेदार निर्माण कार्य न तो हटायेगा और न ही उसमें परिवर्तन करेगा।
23. उ.म.क्षे.सां. केन्द्र ठेकेदार की किसी भी प्रकार का परमिट/लाइसेन्स दिलाने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
24. उ.म.क्षे.सां. केन्द्र किसी भी प्रकार का ट्रक, वैगन, लारी आदि के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ठेकेदार को सामानों की आपूर्ति हेतु स्वयं परिवहन की व्यवस्था करनी होगी, यदि कोई कर देय है तो वह ठेकेदार द्वारा ही देय होगा।

Scanned with OKEN Scanner

25. स्त्रोत पर कर–कटौती लागू नियमों के अनुसार भुगतान के समय केन्द्र द्वारा की जायेगी।

26. निविदादाता निविदा प्रपत्र के साथ अपनी फर्म का पैन, जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र भी संलग्न करें अन्यथा निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।

27. यदि किसी निविदादाता की अग्रिम धनराशि/जमानत राशि किसी अन्य टेन्डर के विरुद्ध केन्द्र में जमा है तो उस राशि का प्रयोग इस निविदा के माध्यम से नहीं किया जा सकेगा।

28. नियम, शर्त एवं दरों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर आवश्यक होगा। ऐसा न पाये जाने पर निविदा निरस्त की जा सकती है। इस हस्ताक्षर का मतलब है कि निविदाकर्ता ने सारे नियम/शर्तें पढ़कर समझ ली है और वह उनसे पूर्णतयाः सहमत हैं।

29. उपरोक्त सभी शर्तों के साथ ठेकेदार/निविदादाता को यह **आवश्यक निर्देश** दिया जाता है कि प्रत्येक कालम में प्रत्येक आइटम पर अपनी दरें स्पष्ट रूप से भरें तथा तथा टैक्स का भी उल्लेख करें। किसी भी प्रकार से पिछले वर्षों की या पुराने टेण्डरों के सापेक्ष किसी भी दर का सम्बन्ध करके प्रतिशत के माध्यम से दरों का उल्लेख मान्य नहीं होगा।

30. पी.ए. सिस्टम के समस्त उपकरण आधुनिक एवं इस प्रकार के हों कि कलाकारों के द्वारा प्रयोग किये जाने वाले वाद्ययंत्रों का आउटपुट आपके सिस्टम में समाहित हो जाये।

घोषणा

मैं/हम..पुत्र श्री ....यह घोषणा करते हैं कि फर्म .... उपरोक्त सभी नियम एवं शर्त पढ़ और समझ ली है। मैं/हम ....पालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

दिनांकँ ....

फर्म का नाम व पता

हस्ताक्षर ....

मो0नं0–

पिन नं0–

पैन कार्ड नं0–

टैक्स नं0–

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र

14, सी0एस0पी0सिंह मार्ग, इलाहाबाद

मंचीय ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था के लिए दरें।

क्र0 सं0	सामानों की मात्रा एवं संख्या						
				अंकों में		शब्दों में	
				रु0	पै0	रु0	पै0
1	2	3		4	5	6	7
1	**पी.ए. सिस्टम–** (1000 दर्शकों के लिए) इसमें पी.ए. सिस्टम से सम्बन्धित सभी उपकरण– 1. मॉनिटर, स्पीकर (बेस सहित आवश्यकतानुसार) JBL 2. एम्लीफायर, मिक्सर, 16-5M5T या 5M58 माइक, दो कार्डलेस, 2 कॉलर माइक, इको चैम्बर के साथ। दरें समस्त उपकरणों के साथ एवं आपरेटर, हैल्पर सहित।	1.	एक दिन				
		2.	15 दिन				
2	**पी.ए. सिस्टम–** (2000 दर्शकों के लिए) इसमें पी.ए. सिस्टमं से सम्बन्धित सभी उपकरण– 1. मॉनिटर, स्पीकर (बेस सहित आवश्यकतानुसार) JBL 2. एम्लीफायर, मिक्सर, 16 माइक, दो कार्डलेस, 2 कॉलर माइक, इको चैम्बर के साथ। दरें समस्त उपकरणों के साथ एवं आपरेटर, हैल्पर सहित।	1.	एक दिन				
		2.	15 दिन				
3	24 नग एल.ई.डी. लाइट (स्टैण्ड एवं कंट्रोल सिस्टम के साथ)	1.	एक दिन				
		2.	15 दिन				
4	24 नग पार–64 (स्टैण्ड, टी–ट्रस, वायर एवं कंट्रोल सिस्टम के साथ)	1.	एक दिन				
		2.	15 दिन				
5	एल.ई.डी. स्क्रीन (प्रति वर्गफुट) लैपटॉप के साथ।	1.	एक दिन				
		2.	15 दिन				

Scanned with OKEN Scanner

	लीड माइक (एस.एम. 57, 58) अतिरिक्त	1.	एक दिन				
		2.	15 दिन				
7	अतिरिक्त साधारण माइक (प्रति)	1.	एक दिन				
		2.	15 दिन				
8	अतिरिक्त कार्डलेस माइक (प्रति)	1.	एक दिन				
		2.	15 दिन				
9	फुट माइक / Floor Mick each	1.	एक दिन				
		2.	15 दिन				
10	अतिरिक्त कॉलर माइक (प्रति)	2.	15 दिन				
		2.	15 दिन				
11	ए0 वो लाइट बोर्ड, पेन ड्राइव, यू0पी0एस सहित (प्रति)	1.	एक दिन				
		2.	15 दिन				
12	डिमैक्स इस्प्लेटर वायर सहित (प्रति)	1.	एक दिन				
		2.	15 दिन				
13	स्मोक मशीन ऑयल सहित (प्रति)	1.	एक दिन				
		2.	15 दिन				
14	प्रोफाइल लाइट (प्रति)	1.	एक दिन				
		2.	15 दिन				
15	मूविंग हैड लाइट (प्रति)	1.	एक दिन				
		2.	15 दिन				
16	U-Truss- 50×20 सभी सुरक्षा उपकरणों के साथ (प्रति)	1.	एक दिन				
		2.	15 दिन				
17	जेनसेट 125 KVA	1.	एक दिन				
		2.	15 दिन				
18	जेनरेटर 63 KVA	1.	एक दिन				
		2.	15 दिन				
19	जेनसेट 125 KVA Running	1.	प्रति घंटा				
20	जेनरेटर 63 KVA Running	1.	प्रति घंटा				

उपरोक्त सभी उपकरणों को यथा संभव शामिल कर लिया गया है। उपकरणों को जोड़ने एवं प्रयोग में लाने हेतु आवश्यक सहायक उपकरण उपरोक्त सभी में शामिल होगें साथ ही पावर केबिल, वायर स्विच बोर्ड एवं सुरक्षा सम्बन्धी अन्य उपकरण के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी। केन्द्र द्वारा केवल निर्धारित स्थान पर विद्युत स्त्रोत उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही उपरोक्त सभी आइटमों में आपरेटर एवं हैल्पर का व्यय निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों में समाहित माना जायेगा। केन्द्र किसी भी प्रकार के मानव शक्ति के रूप में सहयोग करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

दिनांक:

फर्म का नाम एवं पूरा पता सहित

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र

14, सी.एस.पी. सिंह मार्ग, प्रयागराज

फोन नं0– 2411855, 2423698, फैक्स 0532–2423720

e-mail: nczcc@rediffmail.com, website: www.nczcc.in

निविदा सूचना

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आमंत्रित कलाकारों के भोजन (Cattering Services) हेतु नई दिल्ली NCR क्षेत्र के स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों हेतु कैटरिंग कार्यों की आपूर्ति किये जाने अथवा लगाने हेतु अनुभवी पंजीकृत फर्मों से मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र केन्द्र कार्यालय के लेखा अनुभाग से रू0 500/– नगद अथवा ड्राफ्ट जो (निदेशक उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज के पक्ष में देय हो) प्रति निविदा प्रपत्र जमा करने पर दिनांक 05.12.2025 से 12.12.2025 तक दिन में 3:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा निविदा प्रपत्र सांस्कृतिक केन्द्र की वेबसाइट www.nczcc.in से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। डाउनलोड किये हुए निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क जमा करना आवश्यक होगा। शुल्क निदेशक उ.म.क्षे. सां.केन्द्र के नाम ड्राफ्ट के रूप में **निविदा प्रपत्रों के साथ ही संलग्न करना होगा।** प्राप्त निविदा दिनांक 23.12.2025 को केन्द्र में अपराह्न 2:00 बजे तक जमा की जायेगी। प्राप्त सभी निविदाओं को दिनांक 23.12.2025 को ही सायं 3:00 बजे तक केन्द्र की समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अवधि	निविदा फार्म बिक्री की अन्तिम तिथि	निविदा जमा करने तिथि एवं समय	निविदा खोलने का समय
1	कलाकारों हेतु भोजन की आपूर्ति (Cattering Services)	कार्य आवंटन की तिथि से एक वर्ष तक	12.12.2025 को अपराहन 03:00 बजे तक	23.12.2025 को अपराहन 2:00 बजे	23.12.2025 को अपराहन 3:00 बजे

निदेशक

Scanned with OKEN Scanner

निविदा की शर्तें

1. जलपान एवं भोजन की दरें प्रति प्लेट प्रति व्यक्ति के अनुसार अलग मदों में प्रस्तुत करनी होंगी।
2. निविदादाता की कोई भी शर्त अलग से केन्द्र को मान्य नहीं होगी।
3. निदेशक, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र को स्वीकृत दरों पर कार्य को दो या दो से अधिक ठेकेदारों के बीच बांटने का अधिकार होगा।
4. फर्म के द्वारा जिन कार्यों के लिए निविदा भरी जा रही है, फर्म को उस क्षेत्र में कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्र अथवा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
5. भोजन की आपूर्ति नई दिल्ली, NCR . क्षेत्र नगर में की जायेगी। दी गयी दरों में सामानों की आपूर्ति/सर्विसेज का व्यय भी सम्मिलित होगा।
6. सामानों की आपूर्ति में सभी तरह की प्रतिपूर्ति भी सम्मिलित होगी परंतु Act of God जैसे दंगा, अग्निकांड, वर्षा आदि से हुई क्षति उक्त प्रतिपूर्ति में शामिल नहीं होगी। कार्यस्थल पर किन्ही कारणें से यदि कार्यक्रम पहले समाप्त हो जाता है तो वास्तविक उपयोग की मात्रा का भुगतान देय होगा।
7. भोजन की मात्रा आवश्यकतानुसार समयबद्ध तालिका के अनुसार केन्द्र के अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा सूचित किया जायेगा।
8. कार्यक्रमों के दौरान भोजन बनाने (रसोई हेतु स्थान) के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। केन्द्र द्वारा रसोई के स्थान पर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु फर्म द्वारा रसोई स्थल पर सफाई का विशेष ध्यान दिया जायेगा तथा बन्द डिब्बे में कूड़ेदान का प्रयोग किया जायेगा।
9. केन्द्र द्वारा पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जायेंगी, परन्तु फर्म द्वारा भोजना सामग्री बनाने में विद्युत हीटर का प्रयोग वर्जित होगा।
10. खाने की सर्विसेज (Cattering Space) के लिए केन्द्र द्वारा अस्थाई शामियाना, टेबल फ्रिल सहित व आवश्यकतानुसार कुर्सियां उपलब्ध करायी जायेगी, परन्तु कैटरिंग सामग्री व टेबल पर पेपर रोल फर्म द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। खाने के स्थान (Dinning Space) पर सफाई का विशेष ध्यान फर्म को रखना होगा।
11. कुक एवं कैटरिंग सर्विस सभी कर्मचारियों (Waiters and cooking staff) की वेशभूषा एवं व्यवहार प्रेजेन्टेबल होना चाहिए।
12. भोजन पकाने में अधिकाधिक सरसों के तेल का प्रयोग किया जायेगा, अत्यन्त आवश्यक होने पर ही रिफाइन्ड तेल का प्रयोग किया जायेगा। सब्जियां प्रतिदिन के ताजी स्थानीय बाजार से उपलब्ध कराना होगा।
13. खाने–पीने की सभी वस्तुएं उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए।
14. खाना बनाने में एल.पी.जी. गैस का प्रयोग सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन करते हुए करना होगा।
15. केन्द्र द्वारा (Cattering Services) सर्विसेज का आवंटन एल–1 फर्म के आधार पर आवंटित किया जायेगा, परन्तु गुणवत्ता उचित नहीं पाये जाने पर कार्य को एल–2 फर्म को एल–1 की दरों पर उचित गुणवत्ता के आधार पर कर दिया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

16. फर्म के द्वारा भोजन की गुणवत्ता एवं सेवाओं का विशेष ध्यान रखना होगा। फर्म के द्वारा दरें इस प्रकार दी जायें की भोजन की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो।

17. निविदादाता को स्पष्ट रूप से अपनी दरों को शब्दों एवं अंकों में इंगित करना होगा यदि शब्दों एवं अंकों में अन्तर पाया जाता है तो दोनों में जो कम होगा उसी को सही माना जायेगा। जिस सामग्री की दर नहीं अंकित की गयी उसके आगे निरंक लिख दिया जाय।

18. कोई भी निविदा बिना रू0 20,000/– (रूपये बीस हजार मात्र) की धरोहर धनराशि (Earnest money) के स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदादाता द्वारा अग्रिम धन की राशि नकद/डाक बचत, पासबुक/राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के रूप में (निदेशक, उ.म.क्षे.सां.केन्द्र के पक्ष में जमा) करनी होगी।

19. केन्द्र के द्वारा जिस फर्म को कार्य का आवंटन किया जायेगा। फर्म के द्वारा जमानत राशि के रूप में 50,000.00 जमा करनी होगी। शेष फर्मे में जिनके पक्ष में आवंटन नहीं किया गया है उनके द्वारा जमा की गई ई0एम0डी0 की राशि रू0 20000.00 नियमानुसार वापस कर दी जायेगी।

20. निविदादाता को अपनी कार्यक्षमता प्रमाणित करनी होगी।

21. स्वीकार की गयी निविदा की दरें निविदा आवंटन की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होंगी।

22. निदेशक, उ.म.क्षे.सां.केन्द्र को यह विशेषाधिकार होगा कि वह बिना किसी कारण बताये किसी एक निविदा को या सभी निविदाओं को निरस्त कर दें अथवा केन्द्र के हित में किसी एक निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप में स्वीकार कर लें। इस सम्बन्ध में निदेशक का निर्णय अन्तिम एवं सभी को मान्य होगा।

23. उ.म.क्षे.सां. केन्द्र ठेकेदार को किसी भी प्रकार का परमिट/लाइसेन्स दिलाने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

24. उ.म.क्षे.सां. केन्द्र किसी भी प्रकार का ट्रक, वैगन, लारी आदि के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

25. श्रोत पर कर–कटौती लागू नियमों के अनुसार भुगतान के समय केन्द्र द्वारा की जायेगी। दरों पर जी.एस.टी. का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना होगा। स्पष्ट उल्लेख न होने की स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि दरें फर्म के द्वारा जी.एस.टी. सहित दी गई है।

26. निविदादाता निविदा प्रपत्र के साथ अपनी फर्म का पैन, जी.एस.टी. पंजीकृरण प्रमाण पत्र भी संलग्न करें अन्यथा निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।

27. यदि किसी निविदादाता की अग्रिम धनराशि/जमानत राशि किसी अन्य टेण्डर के विरूद्ध केन्द्र में जमा है तो उस राशि का प्रयोग इस निविदा के माध्यम से नहीं किया जा सकेगा।

28. निविदादाता के द्वारा कुकिंग में प्रयुक्त सामग्री में केवल सरसों का तेल (ब्राण्डेड) देशी घी (ब्राण्डेड) एवं सभी प्रकार के पैक्ड मसाले एवं आटे का प्रयोग केवल (ब्राण्डेड) एवं चावल बासमती का प्रयोग किया जायेगा। इसके साथ ही पीने के पानी के लिए केवल जार का आपूर्तित पानी ही प्रयोग में लाया जाये।

Scanned with OKEN Scanner

29. उपरोक्त सभी के समर्थन के लिए निविदादाता को यह स्पष्ट निर्देश होगा कि सामग्री के आपूर्ति के समय ही केन्द्र द्वारा नियुक्त कैंटीन अधिकारी से लिखित रूप में सामग्री के गुणवत्ता की सत्यापना करा लें।

30. नियम, शर्त एवं दरों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर आवश्यक होगा। ऐसा न पाये जाने पर निविदा निरस्त की जा सकती है। इस हस्ताक्षर का मतलब है कि निविदाकर्ता ने सारे नियम/शर्तें पढ़ कर समझ ली हैं और वह उनसे पूर्णतया सहमत हैं।

घोषणा

मैं/हम......................पुत्र श्री..फर्म...................................पता.................. .... यह घोषणा करते हैं कि उपरोक्त सभी नियम एवं शर्त पढ़ और समझ ली है। मैं/हम.....................................पालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

दिनांकः–

निविदादाता के हस्ताक्षर
फर्म का नाम व पता
मो0नं0–
टिन नं0–
पैनकार्ड नं0–
टैक्स नं0–

Scanned with OKEN Scanner

कलाकारों एवं कर्मचारियों हेतु भोजन व्यवस्था

कार्य का विवरण

क्र. सं.	अवधि	खाद्य पदार्थ/सामग्री का विवरण	दरें (प्रति व्यक्ति/प्रति प्लेट)
1.	प्रातः 5:00 बजे से 8:00 बजे तक	**बेड टीः–** (प्रातः चाय)– चीनी एवं बिना चीनी के (चाय बनाने के अधिकतम 30 मिनट के अन्दर प्रयोग कर ली जाय इसके उपरान्त फर्म को पुनः चाय तैयार करनी होगी)	
2.	प्रातः 8:00 बजे से 11:00 बजे तक	**नाश्ताः–** पूड़ी–भाजी एवं जलेबी अथवा पोहा, उपमा एवं हलवा अथवा इडली सांभर एवं जलेबी अथवा छोला भटूरा, हलवा या बालू शाही एवं चाय	
3.	दोपहर 1:00 बजे से 3:30 बजे तक	**दोपहर भोजनः–** दाल– दाल फ्राई/दाल तड़का/दाल मखनी सब्जी– मौसमी सूखी सब्जी रसेदार सब्जी– पनीर युक्त सब्जी रायता, चटनी, सलाद (मौसमी), पापड़, अचार, चपाती एवं चावल (उच्च गुणवत्ता का) तथा गुड़ के साथ	
4.	सायंः 4:30 बजे से 6:30 बजे तक	**सायं चायः–** चीनी एवं बिना चीनी के साथ में एक नमकीन– पपड़ी, समोसा, खस्ता, ब्रेड पकौड़ा, टिकिया, पकौड़ी अथवा अन्य नमकीन।	
5.	रात्रि 8:00 बजे से 11:00 बजे तक	**रात्रि भोजनः–** दाल– दाल फ्राई/दाल तड़का/दाल मखनी सब्जी– मौसमी सूखी सब्जी रसेदार सब्जी– पनीर युक्त सब्जी रायता, चटनी, सलाद (मौसमी), पापड़, अचार, चपाती एवं चावल (उच्च गुणवत्ता का) तथा एक मिठाई के साथ	

नोटः 1. फर्म के द्वारा सब्जी, नाश्ता, दाल की विभिन्नता का विशेष ध्यान रखना होगा तथा किसी भी प्रकार का व्यंजन लगातार दो समय नहीं परोसा जाय। प्लेट का अर्थ व्यक्ति की संतुष्टि की सीमा तक होगी। तथा कैटरिंग में प्रयुक्त क्राकरी अन्य ब्रेकबिल तथा पानी का गिलास (कागज वाला) ही प्रयोग किया जाये और समूह में पानी का जार फर्म के द्वारा देय होगा। इसके लिए फर्म किसी अतिरिक्त धनराशि मांग नही करेगा।

2. केन्द्र में बुलाये गये विशिष्ट अतिथि को खाना एव नाश्ता सर्व किये जाने की स्थिति में फर्म के द्वारा बोन चाइना या बोरोसिल की क्राकरी का प्रयोग वर्दी व दस्ताना युक्त वेटर

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा किया जायेगा। इस कटेगरी में फर्म द्वारा सर्विस के लिये अतिरिक्त धनराशि की मांग अधोलिखित तरीके से कर सकता है।

1. हाई.टी@ ----------/प्रति व्यक्ति (200 एम.एल. मिनरल वाटर के साथ)
2. खाना @ ----------/प्रति व्यक्ति (500 एम.एल बोतल के साथ)
3. डिब्बा बन्द नाश्ता–एक मिठाई–खोये की वर्फी/पतिसा

   नमकीन–दो समोसे/पेटीज़/सैण्डवीज़

   बेफर्स–20 ग्राम

   200 एम.एल. पानी के साथ

   दर@ ----------/प्रति डिब्बा

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र,
14 सी.एस.पी. सिंह मार्ग, इलाहाबाद
फोन नं0- 0532-2421855
e-mail: nczcc@rediffmail.com, website: www.nczcc.in

निविदा सूचना

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आवश्यक मंचीय ध्वनि एवं प्रकाश उपकरण किराये पर, कलाकारों एवं मेहमानों के लिए भोजन की आपूर्ति (Cattering Services), टैक्सी एवं बस आपूर्ति किराये पर नई दिल्ली या NCR क्षेत्र में आपूर्ति किये जाने अथवा लगाने हेतु पंजीकृत फर्मों से मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र केन्द्र कार्यालय के लेखा अनुभाग से रू0 500/- नगद अथवा ड्राफ्ट जो (निदेशक उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज के पक्ष में देय हो) प्रति निविदा प्रपत्र जमा करने पर दिनांक 05.12.2025 से 12.12.2025 तक पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे के मध्य किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा निविदा प्रपत्र सांस्कृतिक केन्द्र की वेबसाइट www.nczcc.in से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। डाउनलोड किये हुए निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क जमा करना आवश्यक होगा। शुल्क निदेशक, उ.म.क्षे.सां.केन्द्र के नाम ड्राफ्ट के रूप में निविदा प्रपत्रों के साथ ही संलग्न करना होगा। निविदा 23.12.2025 तक केन्द्र में अपराह्न 2:00 बजे तक जमा की जायेगी। प्राप्त सभी निविदाओं को 23.12.2025 को अपराहन 03:00 बजे केन्द्र की समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य की अवधि	निविदा फार्म बिक्री की अन्तिम तिथि	निविदा जमा करने की तथि एवं समय	निविदा खोलने का समय
1.	मंचीय ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था (किराये पर)	कार्य आवंटन की तिथि से एक वर्ष तक	12.12.2025 को अपरान्ह 03.00 बजे तक	23.12.2025 को अपरान्ह 02.00 बजे	23.12.2025 को अपरान्ह 03.00 बजे
2.	कलाकारों को भोजन एवं कैटरिंग सर्विस	कार्य आवंटन की तिथि से एक वर्ष तक	12.12.2025 को अपरान्ह 03.00 बजे तक	23.12.2025 को अपरान्ह 02.00 बजे	23.12.2025 को अपरान्ह 03.00 बजे
3.	बस एवं टैक्सी आपूर्ति (किराये पर)	कार्य आवंटन की तिथि से एक वर्ष तक	12.12.2025 को अपरान्ह 03.00 बजे तक	23.12.2025 को अपरान्ह 02.00 बजे	23.12.2025 को अपरान्ह 03.00 बजे

निदेशक

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र,
14 सी.एस.पी. सिंह मार्ग, इलाहाबाद
फोन नं0- 0532-2421855
e-mail: nczcc@rediffmail.com, website: www.nczcc.in

निविदा सूचना
टैक्सी सर्विस हेतु

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा वर्ष पर्यन्त नई दिल्ली में अथवा NCR क्षेत्र में आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों, उत्सवों व अन्य कार्यों हेतु किराये पर वाहनों की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र केन्द्र के लेखा अनुभाग से प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 05.12.2025 से 12.12.2025 तक रुपये 500/- प्रति निविदा प्रपत्र जमा कर प्राप्त किये जा सकते है। निविदा प्रपत्र सांस्कृतिक केन्द्र की वेबसाइट www.nczcc.in से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। डाउनलोड किये हुए निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क जमा करना आवश्यक होगा। शुल्क निदेशक, उ.म.क्षे.सां.केन्द्र के नाम ड्राफ्ट के रूप में निविदा प्रपत्रों के साथ ही संलग्वन करना होगा। निविदा दिनांक 23.12.2025 को केन्द्र में अपराह्न 02.00 बजे तक जमा की जायेगी। प्राप्त सभी निविदाओं को दिनांक 23.12.2025 को ही अपराह्न 03.00 बजे केन्द्र की समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं / उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।

निदेशक

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र
14, सी.एस.पी. सिंह मार्ग, प्रयागराज
फोन नं0– 2411855, 2423698
E-mail: nczcc@rediffmail.com, website: www.nczcc.in

निविदा प्रपत्र

नई दिल्ली व NCR हेतु वाहन की दरें

क्र. सं.	वाहन का नाम		आउट स्टेशन प्रतिदिन न्यूनतम 200 किमी हेतु प्रति किमी किराया	स्थानीय 100 किमी 12 घण्टे हेतु किराया	स्थानीय 200 किमी 24 घण्टे हेतु किरया	अतिरिक्त प्रति किमी	अतिरिक्त प्रति घण्टे	नाइट हाल्ट चार्ज
1.	इंडिगो / डिजायर / एसेन्ट / जेस्ट / सेम सिगमेण्ट	ए.सी.						
2.	इनोवा / क्रिस्टा	ए.सी.						
3.	टवेरा / जायलो / स्कॉर्पियो / अर्टिगा	ए.सी.						
4.	होंडा सिटी / फोर्ड सिगमेण्ट	ए.सी.						
5.	टैम्पो ट्रैवेलर (17 सीटर)							
5.	टैम्पो ट्रैवेलर (14 सीटर)	ए.सी.						
6.	बस (52 सीटर)	नॉन ए.सी.						
7.	बस (35 सीटर)	नॉन ए.सी.						

कार्यक्रम स्थल / उप – केन्द्र जनपथ, नई दिल्ली से स्टेशन / एयरपोर्ट तक या कार्यक्रम स्थल तक आना व जाना

			केन्द्र / कार्यक्रम स्थल से स्टेशन (Pick and drop)	केन्द्र / कार्यक्रम स्थल से एयरपोर्ट (Pick and drop)
1.	इंडिगो / डिजायर / एसेन्ट / जेस्ट / सेम सिगमेण्ट	ए.सी.		
2.	इनोवा / क्रिस्टा	ए.सी.		

निविदादाता के हस्ताक्षर.................................

Scanned with OKEN Scanner

निविदा की शर्तें

1. आपूर्तित वाहन की स्थिति उच्च स्तर की होनी चाहिए।
2. वाहनों की आपूर्ति उपकेन्द्र, जनपथ नई दिल्ली अथवा कार्यक्रम स्थल निर्देशित स्थान पर करनी होगी।
3. वाहन में किमी की गणना निर्देशित स्थान (प्रारम्भ स्थल) से की जायेगी।
4. वाहनों के परमिट, लाइसेन्स, रोड टैक्स एवं स्टेट टैक्स आदि की व्यवस्था निविदादाता की स्वयं की होगी। केन्द्र इसके लिए कतई जिम्मेदार नहीं होगा।
5. सभी दरें पेट्रोल/डीजल सहित होंगी।
6. जी.एस.टी. नियमानुसार केन्द्र द्वारा देय होगा।
7. टोल टैक्स/पार्किंग की प्रतिपूर्ति मूल बाउचर प्रस्तुत करने पर देय होगा।
8. आयकर कटौती लागू नियमों के अनुसार भुगतान के समय केन्द्र द्वारा की जायेगी।
9. निविदा प्रपत्र के साथ निविदादाता अपनी फर्म का पैन व जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण–पत्र भी संलग्न करें अन्यथा उनकी निविदा अस्वीकार कर दिया जायेगा।
10. आपूर्तिकर्ता को बिल के साथ सत्यापित ड्यूटी संलग्न करना आवश्यक होगा।
11. निदेशक, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज में यह अधिकार निहित होगा कि वह किसी भी निविदा को निरस्त कर दे, इस सम्बन्ध में निदेशक उ.म.क्षे.सां. केन्द्र का निर्णय अन्तिम एवं निविदादाताओं को मान्य होगा।
12. निविदा के साथ धरोहर राशि रूपये 10,000/– (रूपया दस हजार मात्र) नकद/ड्राफ्ट के द्वारा जमा करना अनिवार्य है। इसके बिना निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
13. जिस फर्म को कार्य का आवंटन किया जायेगा। उसके द्वारा कार्य की आवंटन की तिथि से तीन दिनों के भीतर रू0 20000.00 जमानत के रूप में केन्द्र में जमा करने होंगे। इस धनराशि में रू0 10000.00 ई0एम0डी0 के रूप में जमा समाहित किया जा सकेगा।

मैंने निविदा की सभी शर्तें पढ़ और समझ ली हैं तथा मैं इनके पालन का वचन देता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

दिनांकः

फर्म का नाम व पता

निविदादाता के हस्ताक्षर ....

Scanned with OKEN Scanner